



कार्यालय

मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली-3

कमरा नंबर – 1604, 16वीं मंजिल, सिविक सेंटर, नई दिल्ली – 110002

फोन नंबर: 011-2334003

ई-मेल: delhi.ccit3@incometax.gov.in

फा.सं. CCIT-3/YPS/2025-26/659

दिनांक: 26.12.2025

यंग प्रोफेशनल स्कीम: 2023 के लिए विज्ञापन

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) में विभाग का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, यंग प्रोफेशनल स्कीम का उद्देश्य लॉ और अकाउंटेंसी में ऐसे युवा प्रोफेशनल्स को शामिल करना है जिनके पास कार्यक्षेत्र (डोमेन) में अच्छा अनुभव हो। ऐसे रिसोर्स विभाग के अधिकारियों को ट्रिब्यूनल में सुनवाई के लिए स्वीकार किए गए मामलों की तैयारी में मदद करेंगे और वे प्रभावी कानूनी कार्यवाही प्रबंधन के लिए टैक्स कानून के जटिल क्षेत्रों पर रिसर्च/अध्ययन कार्य भी करेंगे।

आयकर विभाग, दिल्ली निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रतिभाशाली यंग प्रोफेशनल (YPs) के पूल को नियुक्त करना चाहता है-

1	पद का नाम	यंग प्रोफेशनल
2	पदों की संख्या	9
3	आयु सीमा	उम्मीदवार की आयु विज्ञापन की तारीख के समय 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4	अनुबंध की अवधि	एक वर्ष पूर्णकालिक आधार पर। यंग प्रोफेशनल्स का कार्य संतोषजनक होने पर इस अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
5	स्थान	दिल्ली
6	प्रति माह पारिश्रमिक	60,000/- रुपये [एकमुश्त]

7	शैक्षणिक योग्यता	<p>आवश्यक योग्यता-</p> <p>1) भारतीय नागरिक जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के संस्थानों से कानून में ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, और/या चार्टर्ड अकाउंटेंट।</p> <p>(ii) उम्मीदवारों को 3 साल की बैचलर ऑफ लॉ (LLB) या 5 साल की इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ लॉ (LLB) डिग्री प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम में कम से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए या एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए।</p> <p>अधिमानित योग्यता -</p> <p>(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने टैक्सेशन में अपनी आर्टिकलशिप पूरी की है और लॉ ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने कराधान में रिसर्च वर्क/प्रोजेक्ट्स में काम किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>(ii) जिन उम्मीदवारों के पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) में स्किल्स हैं और जिनकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।</p>
8	नौकरी का विवरण	<p>युवा पेशेवर आयकर आयुक्त (डीआर) और/या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधियों के कार्यालय के अधीन कार्य करेंगे। उनका काम सूचीबद्ध मामलों के अभिलेख पुस्तकों का अध्ययन करना, निर्धारिती द्वारा बताए गए निर्णयों का विश्लेषण करना, विभाग के पक्ष में निर्णय का पता लगाना और जहां भी लागू हो, अलग-अलग तथ्यों की पहचान करना और ब्रीफिंग नोट्स एवं लिखित प्रस्तुतियाँ तैयार करना होगा। वे आयकर आयुक्त (डीआर)/ सीनियर डीआर द्वारा बताए विशिष्ट बिंदुओं पर अनुसंधान / अध्ययन भी करेंगे। आयकर आयुक्त (डीआर) (संबंधित मेंटर) नियुक्ति के समय युवा पेशेवर से अपेक्षित कामों के बारे में एक संक्षिप्त ओरिएंटेशन देंगे।</p>

9	चयन प्रक्रिया	चयन प्रक्रिया में दो चरण होंगे: (i) स्क्रीनिंग और (ii) इंटरव्यू
10	अन्य नियम और शर्तें	परिशिष्ट (annexure)-(क) और (ख) के अनुसार

3. आवेदन जमा करने का तरीका: इच्छुक आवेदक द्वारा भरे हुए आवेदन केवल ई-मेल के माध्यम से delhi.ccit3@incometax.gov.in पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिसका विषय निम्नलिखित होना चाहिए - "आयकर विभाग में युवा पेशेवर योजना के लिए आवेदन"।

4. चयनित उम्मीदवारों को उनके ईमेल पते पर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार के समय, चयनित उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए अपने बायोडाटा और प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे।

5. वेबसाइट <https://www.incometaxdelhi.org> से आवेदन डाउनलोड करें। पूर्ण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15/01/2026 है। अपूर्ण आवेदन और/या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भवदीया,

-हो-

(मुनेश खारी)

आयकर अधिकारी (मुख्या)

कार्या: मुख्य आयकर आयुक्त-03, दिल्ली

परिशिष्ट (annexure)-(क)

(1) युवा पेशेवरों को कार्य स्थान और इंटरनेट सुविधा, स्टेशनरी, पुस्तकालय और कंप्यूटर सिस्टम जैसी अन्य आवश्यकताओं के मामलों में बुनियादी लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जाएगी।

(2) युवा पेशेवर एक कैलेंडर वर्ष में 8 दिनों की छुट्टी के हकदार होंगे। छुट्टी यथानुपात आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से गणना किए गए पूर्ण माह के आधार पर जमा होगी। युवा पेशेवर एक वर्ष में 8 दिनों से अधिक की अनुपस्थिति के लिए पारिश्रमिक के लिए पात्र नहीं होगा। एक कैलेंडर वर्ष में प्राप्त न की गई छुट्टी को अगले कैलेंडर वर्ष में जोड़ा नहीं जाएगा। छुट्टी के दौरान बीच के शनिवार, रविवार या राजपत्रित छुट्टियों को 8 दिनों की छुट्टी में नहीं गिना जाएगा।

(3) अपने अनुबंध की अवधि के दौरान युवा पेशेवर की मृत्यु, चोट या बीमारी की स्थिति में, युवा पेशेवर या युवा पेशेवर के आश्रित, कानूनी उत्तराधिकारी, दावेदार आदि, किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

(4) डीए, आवास, आवासीय फोन/वाहन/परिवहन, विदेशी यात्रा, व्यक्तिगत कर्मचारी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सीजीएचएस आदि जैसी कोई अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी।

(5) यह अनुबंध न तो आयकर विभाग में किसी भी तरह की स्थायी नौकरी या नियुक्ति होगी और न ही यह आयकर विभाग और युवा पेशेवर के बीच नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते जैसा होगा।

(6) युवा पेशेवर, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली क्षेत्र की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने कर्तव्यों के वास्तविक निर्वहन के अलावा, कोई किताब या लेखों का संकलन प्रकाशित नहीं करेगा, या इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया से जुड़े किसी ब्रॉडकास्ट में हिस्सा नहीं लेगा, या कानूनी या कमर्शियल मामलों में किसी इकाई का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, या किसी अखबार या पत्रिका या किसी बाहरी एजेंसी/संस्थान को अपने नाम से या गुमनाम रूप से या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से कोई लेख नहीं लिखेगा या पत्र नहीं भेजेगा, अगर ऐसी किताब, लेख, ब्रॉडकास्ट में ऐसी कोई जानकारी इस्तेमाल होती है जो उसने इस युवा पेशेवर असाइनमेंट के दौरान अपने कार्यकाल में इकट्ठा की हो या उसे पता चली हो।

परिशिष्ट (annexure)-(ख)

गोपनीयता और समाप्ति

- 1) युवा पेशेवर पर भारतीय आधिकारिक गोपनीय अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अधीन होगा और वह अनुबंध के दौरान या उसके बाद किसी भी समय, किसी भी ऐसी जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बताएगा जिसे उसे जानने का अधिकार नहीं है। युवा पेशेवर देश के गोपनीयता कानूनों के अधीन होगा और रिपोर्ट करने से पहले गोपनीयता घोषणा और गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।
- 2) आयकर विभाग बिना कोई कारण बताए किसी भी समय यह अनुबंध समाप्त कर सकता है। हालांकि, सामान्य तौर पर, युवा पेशेवर को एक महीने का नोटिस दिया जाएगा। अगर युवा पेशेवर स्वयं छोड़ना चाहता है, तो वह मैटर को एक महीने पहले नोटिस देकर ऐसा कर सकता है।
- 3) बिना किसी सूचना या वैध कारण के लगातार 8 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर युवा पेशेवर का अनुबंध अपने आप समाप्त हो जाएगा।
- 4) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
- 5) ऊपर दिए गए निदेशों का उल्लंघन करने पर आवेदक का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।